संख्या-229/2015-3171/नौ-5-15-3एन0जी0आर0बी0ए0/2015

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ : दिनांक 09 जुलाई, 2015

विषयः एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत इलाहाबाद स्थित गऊघाट सीवरेज पम्पिंग स्टेशन से नैनी एस0टी0पी0 तक राइजिंग मेन बदले जाने हेतु परियोजना की पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र स0-95/022-0272/2015, दिनांक 08.05.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत इलाहाबाद स्थिति गऊघाट सीवरेज पम्पिंग स्टेशन से नैनी एस0टी0पी0 तक राइजिंग मेन बदले जाने हेतु मूल लागत रू0 2559.04 लाख के सापेक्ष पुनरीक्षित प्रस्तावित लागत रू0 4746.02 लाख के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति की दिनांक 26.03.2015 को आयोजित बैठक में अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 4203.54 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को श्री राज्यपाल एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव में सम्मिलित कार्यो की लागत को प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रायोजना की आंकलित लागत को यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आंकलित किया गया है, इसका समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम का होगा ।

(2) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर प्राप्त करके ही निर्माण कार्य किया जायेगा।

(3) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राबधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैस ेराइजिंग मेन की लम्बाई बढाना अन्य प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्वि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्रापत किये बिना नही किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान मे किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशाकीय पत्र संख्या-ई-8-1902/दस-2015, दिनांक 03 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

go finance mangal font

संख्या-229/2015-3171/नौ-5-15-3एन0जी0आर0बी0ए0/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/इलाहाबाद ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- वित्त (ई-8) अनुभाग/ नियोजन अनुभाग- 3/4
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (इला0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद ।
9- निदेशक, वित्त/ तकनीकी सलाहकार राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
10- परियोजना प्रबन्धक, नागर कार्य इकाई, उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

go finance mangal font